सत्यमेव जयते

# DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS
## GOVT. OF NCT OF DELHI

# CITIZEN CHARTER

**Delhi Commission for Safai Karamcharis** has been constituted to safeguard the rights and interests and the redressal of grievances of the Safai Karamcharis residing in the National Capital Territory of Delhi and for matters connected therewith or incidental thereto.

## FUNCTIONS OF THE COMMISSION

1) The commission performs all or any of the following functions, namely.

   a) To investigate, examine and monitor all matters relating to:

      i. The safeguards provided to Safai Karamcharis, residing in Delhi, under the Constitution of India, or under any law for the time being in force or under any judicial decisions or any orders or instructions issued by the Government of India or the Government, and to evaluate the working of such safeguards.

      ii. Denial or violation of any right of Safai Karamcharis.

      iii. Any other matter pertaining to the welfare and protection of Safai Karamcharis.

   b) To look into the specific complaints with respect to the deprivation of the rights and safeguards of Safai Karamcharis.

   c) To monitor and evaluate the implementation of the policies and schemes of the Government for the welfare of Safai Karamcharis and to advise the Government on the planning process of socio-economic development of Safai Karamcharis.

   d) To conduct studies and research in order to make recommendations to promote the socio-economic upliftment of Safai Karamcharis.

e) To hold seminars, debates and discussions on problems affecting Safai Karamcharis to create public awareness.

f) To assess the representation of Safai Karamcharis in the Services of the Government, semi government bodies, local bodies and government undertakings and in case of inadequate representation, to recommend remedial measures.

g) To deal with any other matter pertaining to the welfare of Safai Karamcharis which may be referred to it by the Government.

## PROCEDURE FOR DISPOSAL OF THE GRIEVANCES

After receiving the grievance from Safai Karamcharis, the application is scrutinised to examine the facts and all supporting documents of the case. The application along with relevant documents are sent to the department concerned to provide the action taken report within 15 days for perusal of the Commission. First/Second reminder is sent if the reply is not received within the stipulated time period. If the reply is still not received or the Commission is not satisfied with the reply, the officers of the department concerned are issued notice for hearing to appear before the Commission alongwith relevant information/documents in the presence of applicant and the hearing is conducted in one or more seatings depending upon the requirement of information from the department of applicant. When all the documents or information required are received and the grievances of the applicant is resolved the grievance/complaint of the applicant is disposed off or if necessary, a copy of recommendation/order issued by the Commission is sent to the department concerned under intimation to applicant for taking appropriate action on the recommendation/order.

For more details contact us at following telephone numbers:-

| | |
|---|---|
| Chairman | 011-25750321-22 |
| Member (Part-time) | 011-25750321 |
| Secretary | 011-25752691 |
| Dy. Secretary | 011-25750320 |
| Section officer | 011-25752690 |

Toll Free No. 1800112021

Safai Karamcharis may submit their grievances for redressal at the following address of the Commission

**DELHI COMMISSION FOR SAFAI KARAMCHARIS**

**Govt. of National Capital Territory of Delhi**

**5477/72, Kalyan Bhawan, Kikarwala Chowk, Raigarpura, Karol Bagh, New Delhi-110005**

**Email:- dcsk_2006@yahoo.in**

**Website:- www.dcsk.delhi.gov.in**

सत्यमेव जयते

# दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

# नागरिक अधिकार/घोषणा पत्र

**दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग** का गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने और उनकी शिकायतों का निपटारा करने के साथ - साथ उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान तथा उनके कल्याण से सम्बंधित नीति व कार्यकर्मों पर निगरानी करने के उद्देश्य से किया गया है |

## दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग निम्नांकित कार्य करता है

क) निम्नांकित से सम्बंधित सभी मामलों की जांच परिक्षण और निगरानी करना :-

I. दिल्ली में रहने वाले सफाई कर्मचारियों को भारतीय संविधान या किसी अन्य प्रचलित कानून या न्यायिक निर्णय अथवा भारत सरकार या सरकार द्वारा जारी किसी आदेश/ अनुदेश के अंतर्गत प्रदत्त सरंक्षण और ऐसे सरंक्षण की कार्यप्रणाली का मूल्याकन |

II. सफाई कर्मचारियों के किसी अधिकार का हनन या उलंघन |

III. सफाई कर्मचारियों के कल्याण और हितों से सम्बंधित कोई अन्य मामला |

ख) सफाई कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सरंक्षण से वंचित किये जाने संबंधी विशेष शिकायतों की जांच करना |

ग) सफाई कर्मचारियों के कल्याण से सम्बंधित सरकार की नीतियों और कार्यकर्मों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखना और उसका मूल्याकन करना तथा सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया के बारे में सरकार को परामर्श देना |

घ) सफाई कर्मचारियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देने के बारे में सिफारिशें करने के लिए अध्ययन एवं अनुसंधान संचालित करना |

ङ)	जन जागरूकता पैदा करने के लिए सफाई कर्मचारियों पर असर डालने वाली समस्याओं के बारे में सेमिनार, वाद-विवाद और परिचर्चाओं का आयोजन करना |

च)	सरकारी, अर्ध-सरकारी निकायों, स्थानीय निकायों और सरकारी प्रतिष्ठानो की सेवाओं में सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन करना और प्रतिनिधित्व पर्याप्त न होने पर सुधार के उपाय सुझाना |

छ)	सफ़ाई कर्मचारियों से सम्बंधित किसी अन्य मामले का निपटारा करना जो सरकार द्वारा उसे सौंपा गया हो।

## शिकायतें निपटाने की कार्य प्रक्रिया

आयोग में शिकायत प्राप्त होने के बाद उसके विवरण तथा सलंग्न दस्तावेजों की जांच की जाती है तथा इसे सम्बंधित विभाग में प्रेक्षित किया जाता है | 15 दिन की अवधि में इसकी रिपोर्ट/जवाब माँगा जाता है | रिपोर्ट प्राप्त न होने की परिस्थिति में प्रथम/द्वितीय स्मारक भेजा जाता है | इसके उपरांत भी आवश्यक उत्तर न मिलने पर अथवा जवाब संतोषजनक न पाये जाने पर सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को नोटिस भेज कर आयोग में बुलाया जाता है तथा आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की जाती है जो की वांछित जानकारी/दस्तावेजों के अनुसार एक या इससे अधिक बार आयोजित की जा सकती है | पूर्ण जानकारी मिलने पर तथा आवेदक की शिकायत का समाधान होने पर आयोग शिकायत का निपटान कर देता है और अगर जरुरी लगता है तो आयोग अपनी सिफ़ारिश/आदेश देता है जो की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित विभाग को भेज दी जाती है तथा आवेदक को भी इसकी सूचना दे दी जाती है |

अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित दूरभाष पर संपर्क करें

| | |
|---|---|
| अध्यक्ष | 011-25750321-22 |
| सदस्य (अंशकालिक) | 011-25750321 |
| सचिव | 011-25752691 |
| उप सचिव | 011-25750320 |
| अधीक्षक | 011-25752690 |

टोल फ्री नंबर 1800112021

## सफाई कर्मचारी अपनी शिकायत निपटारे हेतु नीचे दिए गए आयोग के पते पर भेज सकते हैं


**दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग**

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

5477/72, कल्याण भवन, कीकरवाला चौक, रेग़रपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

**ईमेल:-** dcsk_2006@yahoo.in

**वेबसाइट:-** www.dcsk.delhi.gov.in